

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
विविध प्रार्थना पत्र संख्या 07 / 2017(GCMS : 2020/)

1. **State of Rajasthan Versus Competent Authority & ors.**

Request petition by respondent no. 3 under the title :-

Swati Devi Proprietor M/s Balaji Brick Klin Chak I SGM Suratgarh

VERSUS


1. **State of Rajasthan** through Collector. Sri Ganganagar

2. **Project Director (NH)** office of S.E. PWD, Bikaner

3. **Mr. T.C. Gupta**, Project Director. National Highway.

4. **Any other officer either chief Engineer (N.H.) of A.C.S. office of Rajasthan,** Whosoever in guilty for not complying and define the order award passed by Arbitrator (neither set-aside nor modified, changed either in part or wrong, not complied with uptill date)

19.09.2023



पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री दिनेश छाबड़ा ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अनवान् स्वाती देवी बनाम प्रोजेक्ट डायरेक्टर वगै. का एक प्रकरण अद्योहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में विचारधीन है, जिसे वे आगे चलाना नहीं चाहते हैं एवं इसी स्तर पर उनके प्रकरण को खारिज कर दिया जाये, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैने, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 01 / 2017 स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम कम्पीटेंट अथोरिटी, लैण्ड एक्यूजीशन (एन.एच.) एडिशनल डिस्ट्रीक्ट कलक्टर, सूरतगढ़ व अन्य अन्तर्गत धारा 3जी(5) नेशनल हाईवे एक्ट 1956 में पारित आदेश दिनांक 16.08.2017 में आदेश के अनुसरण में स्वाति देवी द्वारा जरिये अधिवक्ता की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 14.06.2017 उक्त प्रकरण से पृथक कर अलग से दर्ज रजिस्टर करने के आदेश दिये गये थे, जिसे प्रार्थी आगे चलाना नहीं चाहता है अर्थात नॉट प्रैस करते हैं। इस आशय का लिखित प्रार्थना पत्र प्रार्थी के अधिवक्ता ने पेश किया है, जो पत्रावली में उपलब्ध है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी स्वाती देवी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तर्तीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 19.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(अंशदीप)

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

